न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 7/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नाहर सिंह आयु 45 वर्ष दत्तक पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी गढ़वालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू जरिये मुख्यतार हरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री झाबरराम जाति जाट निवासी गढ़वालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हरिराम पुत्र कुशलाराम।
2 श्रवण पुत्र कुशलाराम जाति समस्त जाट निवासीगण गढ़वालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट1955 अपील खिलाफ
निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
जिला झुंझुनू बमुकदमा हरिराम वगैरह बनाम नाहरसिंह
अ.धा. 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 263/2014
आदेश दिनांक 25.01.2016

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निरंजन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 263/2014 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 866 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 90 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 866 अपीलांट का है खसरा नम्बर 867 रेस्पोडेंट का है खसरा नम्बर 866 की उत्तरी सीमा पर खसरा नम्बर 871 में से रास्ता उपलब्ध है दो रास्ते खसरा नम्बर 874 में से पहले से उपलब्ध है 15.11. 2015 की पटवारी की रिपोर्टसे इसकी पुष्टि होती है दिनांक 08.06.2015 का उपखण्ड अधिकारी का आदेश है कि खसरा नम्बर 874 से पगडण्डी चालु हालत में है। प्रकरण में धारा 251ए लागु नही होता है जब पहले से आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते मौजुद है तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य था। विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नही कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में अपर जिला कलेक्टर झुंझुनू के द्वारा अपील संख्या 23/2010 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2011 की प्रति एवं आर. आर.टी. 2016(1) पेज 649, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 234, एआईआर 2002 राजस्थान पेज 309 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 251ए के अन्तर्गत आवागमन के लिए निकटतम रास्ता होता है खसरा नम्बर 866 व 867 दोनों भाईयों के खेत है तहसीलदार ने इनकों चालु माना है जिसकी अपील अपर जिला कलेक्टर के यहा हुई है जिसमें भी खसरा नम्बर 866 में पगडण्डी का होना माना गया है हमारा कोई रास्ता नही है डीएलसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की राशि जमा करवा दी है। हमने सिर्फ 10 फिट रास्ते की मांग की है। प्रताड़ित करना होता तो 30 फिट रास्ते की मांग करते पगडण्डी हमारे खेत तक नही आती है इनको सुनवाई का अवसर दिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवाद एक ही बात को लेकर है कि अपीलांट का कथन है कि खसरा नम्बर 866 की उत्तरी सीमा पर रास्ता विद्यमान है इसके अलावा खसरा नम्बर 874 में से दो रास्ते विद्यमान है इसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.11. 2015 से होती है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से पुन नया रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नही है। रेस्पोडेंट ने इसके खण्डन में कोई तर्क नही दिया है अपितु यह कथन किया है कि 251ए के अन्तर्गत आवागमन के लिए निकटतम रास्ता होता है। हम रेस्पोडेंट के इस तर्क से सहमत नही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आर.आर.टी. 2016(1) पेज 649 में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा –251–ए–नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया– वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था– विद्यमान मार्ग के अलावा प्रार्थी सीधे मार्ग का दावा नही कर सकता – निर्णित, प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश न्याय संगत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सुनिश्चित हो चुका है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ऐसी स्थिति में धारा 251ए के अन्तर्गत आवागमन के लिए निकटतम नवीन मार्ग के लिए किया गया आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज किये जाने योग्य था। विचारण न्यायालय ने इसे स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर